—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 36/2025

उनवान

1. महेन्द्र चौधरी पुत्र कन्हैयालाल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
2. महेन्द्र जाट पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम गादेरी, नसीराबाद

——— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री कालूराम गुर्जर

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थी :— जरियें जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 29/8/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3095 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 3094 व 3105 का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3095 रकबा 0.36 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 3094 रकबा 0.03 गै.मु.टेकरी व 3105 रकबा 1.80 गै.मु. टेकरी सिवायचक खातें में है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 3094 रकबा 0.03 गै.मु.टेकरी व 3105 रकबा 1.80 गै.मु. टेकरी का उपयोग करते है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। मौका पर्चा अनुसार खसरा नम्बर 3094 की मेड पर 2—3 फिट की टेकरी बनी हुयी है। आवागमन किया जा सकता है। अन्य कोई आपत्ति अंकित नही की है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये मार्ग को दिये जाने की अभिशंषा तहसीलदार नसीराबाद द्वारा की गयी है। राजस्व मानचित्र अनुसार भी प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रकरण में कोई खण्डन तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्ध होती है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम देराठू के हाल खसरा 3094 में से 0.0140 है. व खसरा नम्बर 3105 में से [illegible] है. (30 फिट चौडा) रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले 191506/अक्षरे एक लाख ईकरावनवे हजार पांच सौ छः रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested